RNA : Real News Analysis

DAILY CURRENT AFFAIRS

UPSC, STATE PCS, SSC, RAILWAY, BANKING, DEFENCE,
और अन्य सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण

DATE
अगस्त
07
2025

Key Point

1. National News
2. International News
3. Govt. Mission, Apps
4. Awards & Honours
5. Sports News
6. Economic News
7. Newly Appointment
8. Defence News
9. Important Days
10. Technology News
11. Obituary News
12. Books & Authors

By Ankit Avasthi Sir

RBI ने रेपो रेट अपरिवर्तित रखा / RBI kept the repo rate unchanged

संदर्भ:

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा के दौरान घोषणा की कि रेपो रेट **5.5% पर यथावत** रखा गया है, जिससे ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

MPC मीटिंग की मुख्य बातें:

1. आरबीआई ने दरें अपरिवर्तित रखीं।
2. मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण अब अधिक अनुकूल है, जो मजबूत मानसून द्वारा समर्थित है। हालांकि, प्रतिकूल आधार प्रभाव और वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण **CPI मुद्रास्फीति 4% से ऊपर** जा सकती है। मुख्य मुद्रास्फीति **4% से अधिक** रहने की संभावना।
3. **FY26 के लिए GDP आउटलुक 6.5%** रहने का अनुमान है।

रेपो रेट क्या है?

रेपो रेट वह दर (Rate) होती है जिस पर **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक (Short-term) ऋण देता है** जब बैंकों को पैसों की जरूरत होती है।

रेपो रेट का उद्देश्य:

RBI इस दर का उपयोग इन प्रमुख उद्देश्यों के लिए करता है:

- **बाजार में नकदी (liquidity)** को नियंत्रित करना
- **महंगाई (inflation)** पर काबू पाना
- **आर्थिक विकास (economic growth)** को प्रभावित करना

कम रेपो रेट का असर:

जब RBI रेपो रेट को घटाता है:

- बैंकों को **सस्ते ब्याज पर कर्ज मिल जाता है**
- बैंक भी अपने ग्राहकों को **कम ब्याज दर पर ऋण** देने लगते हैं
- इससे **लोन लेना आसान** हो जाता है

कम रेपो रेट के फायदे:

- **निवेश (Investment)** और **खपत (Consumption)** को बढ़ावा मिलता है
- **पैसे की उपलब्धता** और **बाजार में नकदी** बढ़ती है
- **आर्थिक मंदी (Slowdown)** के समय **विकास को रफ्तार** मिलती है

नीतिगत निर्णयों के पीछे के कारण:

मुद्रास्फीति में तीव्र गिरावट

- जून 2025 में **CPI मुद्रास्फीति घटकर 2.1%** हो गई, जो पिछले **छह वर्षों का सबसे निचला स्तर** है।
- **सब्जियों और अनाज** जैसी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में **मंदी** देखी गई।
- इसके चलते **FY26 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान घटाकर 3.1%** कर दिया गया।

वैश्विक अनिश्चितताएँ: **अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ** जैसे व्यापार तनाव और **कच्चे तेल की अस्थिर कीमतें** बाहरी जोखिम पैदा कर रही हैं।

पूर्व में की गई दरों में कटौती

- **RBI ने 2025 की शुरुआत में रेपो रेट में 100 बेसिस प्वाइंट की कटौती** की थी।
- समिति अब चाहती है कि इन कटौतियों का **आर्थिक प्रभाव पूरी तरह से देखा जाए**।

मौद्रिक नीति समिति क्या है?

- **MPC एक वैधानिक निकाय** (Statutory Body) है, जिसे **RBI अधिनियम, 1934** (2016 में संशोधित) के तहत स्थापित किया गया है।
- इसका मुख्य कार्य **बेंचमार्क ब्याज दर (रेपो रेट)** तय करना है, ताकि **मूल्य स्थिरता** (Price Stability) बनी रहे और **आर्थिक विकास** को भी ध्यान में रखा जा सके।

MPC की संरचना: कुल **6 सदस्य** होते हैं:

- **3 सदस्य RBI से** (जिसमें गवर्नर अध्यक्ष होते हैं)
- **3 बाहरी सदस्य**, जिन्हें सरकार नियुक्त करती है।

निर्णय प्रक्रिया:

- निर्णय **बहुमत** से लिया जाता है।
- **हर सदस्य का एक वोट** होता है।
- यदि मतों में **बराबरी** हो जाए, तो **RBI गवर्नर को निर्णायक वोट** देने का अधिकार होता है।

धन शोधन / Money Laundering

संदर्भ:

वित्त मंत्री ने हाल ही में जानकारी दी कि वर्ष 2015 से अब तक **धनशोधन निवारण अधिनियम (PMLA)** के तहत 5,892 मामलों में कार्यवाही की गई है, लेकिन अब तक केवल 15 मामलों में ही सजा हो पाई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के बढ़ते मामलों और प्रवर्तन तंत्र की कमजोरियों को उजागर करता है।

धन शोधन (Money Laundering) क्या है?

धन शोधन वह प्रक्रिया है, जिसमें **अवैध रूप से अर्जित धन को वैध दिखाने** के लिए उसे जटिल वित्तीय लेन-देन के माध्यम से प्रणाली में डाला जाता है।

PMLA, 2002 के तहत परिभाषा:

- **धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002** की **धारा 3** के अनुसार, यह प्रक्रिया अपराध से प्राप्त धन को:
  - **छुपाने (concealing)**
  - **अपने पास रखने (possessing)**
  - **प्राप्त करने (acquiring)**
  - **प्रयोग करने (using)** और फिर उसे **अवैध नहीं, बल्कि वैध संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने** से संबंधित है।

धन शोधन की तीन प्रमुख चरण:

1. **Placement (प्रवेश):** अवैध धन को पहली बार **वित्तीय प्रणाली में प्रवेश कराना**।
2. **Layering (परतें बनाना):** उस धन को **कई लेन-देन और खातों के माध्यम से घुमाकर** उसकी उत्पत्ति को छुपाना।
3. **Integration (एकीकरण):** शोधन किए गए धन को **संपत्ति, व्यवसाय या निवेशों के माध्यम से वापस अर्थव्यवस्था में लाना**।

धन शोधन (Money Laundering) के दुष्परिणाम:

1. **आर्थिक असंतुलन:**
   - यह **संपत्तियों की कीमतों को विकृत** करता है।
   - **उचित प्रतिस्पर्धा को कमजोर** करता है।
   - **वित्तीय प्रणाली को अस्थिर** बना सकता है।
2. **राजनीतिक प्रभाव:**
   - **अवैध धन चुनावों और नीतिगत निर्णयों को प्रभावित** कर सकता है।
   - यह **लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा** पैदा करता है।
3. **आतंक और अपराध से संबंध:**
   - धन शोधन का **आतंकवाद की फंडिंग** और **सीमा-पार आपराधिक नेटवर्कों** से गहरा संबंध होता है।

धन शोधन मामलों में प्रमुख चुनौतियाँ:

1. **कम सजा दर:** कुल **5,892 मामलों में केवल 15 सजा** – इससे **जांच और प्रवर्तन की कमजोरी** सामने आती है।
2. **मामलों में वृद्धि:** बढ़ते मामले यह दर्शाते हैं कि **वित्तीय अपराधों को रोकने में विफलता** रही है।
3. **कानून का दुरुपयोग:** आरोप है कि **PMLA का राजनीतिक उद्देश्यों** के लिए उपयोग किया गया, जिससे **प्रवर्तन एजेंसियों पर भरोसा कमजोर** हुआ है।
4. **लेन-देन की जटिलता: सीमा-पार धन हस्तांतरण** और **डिजिटल माध्यमों** के कारण **धन का पता लगाना कठिन, समयसाध्य और महंगा** हो गया है।
5. **आर्थिक प्रभाव:** यह **मौद्रिक अस्थिरता, महंगाई, व्यापार में विकृति** और **आतंकी फंडिंग** से जुड़ा होता है।

कर्तव्य भवन-3 / Kartavya Bhawan-3

संदर्भ:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त 2025 को दिल्ली के कर्तव्य पथ स्थित **कर्तव्य भवन-3** का उद्घाटन किया। यह भवन केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए बनाए जा रहे **दस भवनों** में से पहला है जो बनकर तैयार हो गया है।

कर्तव्य भवन परियोजना की विशेषताएं:

- सेंट्रल विस्टा परियोजना के अंतर्गत कुल 10 कर्तव्य भवन बनाए जाएंगे
- सभी मंत्रालय और विभाग अब इन भवनों में स्थानांतरित किए जाएंगे
- इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन से नई मेट्रो लाइन जोड़ने का प्रस्ताव
- भवनों में तकनीक, सुरक्षा व पर्यावरण अनुकूलता का विशेष ध्यान
- निगरानी के लिए आधुनिक कमांड सीसीटीवी सेंटर की व्यवस्था

कर्तव्य भवन-3: एक नजर में-

कुल क्षेत्रफल: 1.50 लाख वर्ग मीटर

भूतल क्षेत्रफल: 40,000 वर्ग मीटर

कुल तल: 10 (जिसमें 2 भूतल केवल पार्किंग के लिए)

पार्किंग क्षमता: 600 कारें

लिफ्ट: 27

वातानुकूलन: सेंट्रलाइज्ड

स्वचालित सीढ़ियां: 2

बैठक सुविधाएं:

- 24 मुख्य कांफ्रेंस हाल (प्रत्येक में 45 व्यक्तियों की क्षमता)
- 26 छोटे कांफ्रेंस हाल (प्रत्येक में 25 व्यक्तियों की क्षमता)
- 67 वर्क हॉल/मीटिंग रूम (प्रत्येक में 9 व्यक्तियों की क्षमता)

अन्य सुविधाएं: योगा हॉल, क्रेच, मेडिकल रूम, कैफे, मल्टीपरपज हॉल आदि

कर्तव्य भवन-3 में स्थानांतरित होने वाले मंत्रालय:

- गृह मंत्रालय
- विदेश मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- एमएसएमई मंत्रालय
- कार्मिक एवं प्रशिक्षण कार्य मंत्रालय
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
- प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय

अन्य भवनों की स्थिति:

कर्तव्य भवन-1 अगले महीने तक बनकर तैयार

- इसमें वित्त मंत्रालय स्थानांतरित होगा
- भवन में वित्त मंत्रालय के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किया गया है

अन्य 7 भवन अप्रैल 2027 तक बनकर तैयार हो जाएंगे

कर्तव्य भवन क्यों जरूरी थे?

- मौजूदा मंत्रालयों के भवन 1950–1970 के दशक में बने थे
- अब ये भवन पुराने हो गए हैं और इनका रखरखाव महंगा हो गया था
- केंद्र सरकार के पास लगभग 55 मंत्रालय और 93 विभाग हैं
- ये अब तक नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, कृषि भवन, शास्त्री भवन आदि में फैले हुए थे

नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का भविष्य:

- सभी मंत्रालयों के स्थानांतरित होने के बाद ये भवन खाली कर दिए जाएंगे
- इन भवनों में **"युगे-युगीन भारत संग्रहालय"** बनाया जाएगा
- संग्रहालय में महाभारत काल से लेकर आधुनिक भारत तक की कला, संस्कृति और इतिहास को प्रदर्शित किया जाएगा

सेंट्रल विस्टा परियोजना की समयसीमा

- सेंट्रल विस्टा परियोजना का कार्य **दिसंबर 2031** तक पूरा होगा
- प्रधानमंत्री कार्यालय और आवास के लिए भी नए भवनों का निर्माण प्रस्तावित

निष्कर्ष: कर्तव्य भवन परियोजना, प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व में केंद्र सरकार की प्रशासनिक दक्षता, आधुनिकता और पर्यावरण-संवेदनशीलता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अब पर्यावरण मुआवजा लगाने के लिए अधिकृत / Pollution Control Board is now authorized to impose environmental compensation

संदर्भ:

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि **प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत प्रदूषण फैलाने** वाले इकाइयों पर पर्यावरणीय मुआवजा लगाने का विधिक अधिकार प्राप्त है।

निर्णय की प्रमुख विशेषताएँ:

1. पुनर्स्थापन (Restoration): न्यायालय ने ज़ोर दिया कि **प्रदूषित वायु और जल स्रोतों को उनके मूल और शुद्ध स्वरूप में पुनर्स्थापित करना** ही लक्ष्य होना चाहिए।

2. वैधानिक अधिकार (Statutory Authority):

- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) मुआवज़ा या क्षतिपूर्ति (restitutionary/compensatory damages) वसूल सकता है– **Post**
- **facto:** जब पर्यावरण को पहले ही नुकसान हो चुका हो।
- **Ex-ante:** संभावित नुकसान को रोकने के लिए पहले से।

3. लागू धाराएँ (Sections Invoked):

- **धारा 33A –** जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- **धारा 31A –** वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
  ये धाराएँ PCB को आर्थिक निर्देशों सहित प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को आदेश देने का अधिकार देती हैं।
  यह अधिकार **पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5** के समान है।

4. विधायिका को निर्देश (Direction to the Legislature):

- ये शक्तियाँ तभी प्रयोग की जा सकती हैं जब उपविधि बनाई गई हो।
- ये नियम **प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों** का पालन करते हों।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित कानूनी सिद्धांत:

1. पुनर्स्थापनात्मक बनाम दंडात्मक हर्जाना (Restitutionary vs Punitive Damages):

- **पुनर्स्थापनात्मक हर्जाना:** पर्यावरण को उसके मूल या लगभग मूल स्थिति में लाने पर केंद्रित होता है।
- **दंडात्मक हर्जाना:** उल्लंघन करने वाले को दंडित करने के उद्देश्य से लगाया जाता है।
- **न्यायालय की स्पष्टता:** दोनों प्रकार के हर्जाने अलग-अलग उपाय हैं और इन्हें पृथक रूप से माना जाना चाहिए।

2. प्रदूषण फैलाने वाला भुगतान करे सिद्धांत (Polluter Pays Principle):

- इसे भारतीय पर्यावरणीय कानून में एक संवैधानिक और वैधानिक दायित्व के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- न्यायालय ने दोहराया कि प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को ही क्षति की भरपाई और पर्यावरण की बहाली का खर्च उठाना होगा।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)

स्थापना:

- **1974 में**, जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत।
- बाद में वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत इसके अधिकारों का विस्तार किया गया।

भूमिका:

- भारत में **प्रदूषण नियंत्रण की शीर्ष संस्था** (Apex Body) है।
- **पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986** के तहत यह **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय** को तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCBs)

स्थापना: राज्य सरकारों द्वारा **जल अधिनियम, 1974** की **धारा 4** और **वायु अधिनियम, 1981** के तहत की जाती है।

भूमिका: अपने राज्य में **पर्यावरणीय कानूनों को लागू करना** और **CPCB द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना।**

संरचना: सदस्यों का **नामांकन संबंधित राज्य सरकार** द्वारा किया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उद्धृत प्रमुख निर्णय:

- **वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फोरम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1996):** इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरणीय पुनर्स्थापन (Environmental Restitution) को संविधानिक और वैधानिक जिम्मेदारी माना था, न कि केवल दंडात्मक कार्रवाई।
- **इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो-लीगल एक्शन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1996):** इस फैसले में भी कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि पर्यावरणीय हानि की भरपाई करना प्रदूषक की ज़िम्मेदारी है और यह "Polluter Pays Principle" के तहत आता है।
- **दोनों मामलों में प्रमुख सिद्धांत:**
  - पर्यावरणीय पुनर्स्थापन को कानूनी दायित्व माना गया।
  - "प्रदूषक भुगतान करे सिद्धांत"को न्यायिक मान्यता दी गई।
  - यह सिद्ध किया गया कि पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई करना आवश्यक है, भले ही वह दंडात्मक कार्रवाई न हो।

Apni Pathshala एक कदम उज्ज्वल भविष्य की ओर

राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना / NMMSS

संदर्भ:

हाल ही में **मेरठ (उत्तर प्रदेश)** में **राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (National Means-Cum-Merit Scholarship Scheme - NMMSS)** को लेकर एक **जागरूकता सत्र** आयोजित किया गया। इस सत्र का उद्देश्य **वित्तीय रूप से कमजोर लेकिन मेधावी छात्रों** को इस योजना के लाभों की जानकारी देना और उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना था।

राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना (NMMSS):

शुरुआत:

- यह योजना **2008 में शिक्षा मंत्रालय** द्वारा शुरू की गई थी।
- यह एक **केंद्रीय प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme)** है।

उद्देश्य: **आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों** को कक्षा **9वीं से 12वीं तक** की पढ़ाई जारी रखने के लिए **प्रोत्साहित करना**।

पात्रता और लाभ:

- **छात्रवृत्ति की शुरुआत:** कक्षा **9वीं में नई छात्रवृत्ति**, और कक्षा **10वीं, 11वीं व 12वीं** में **नवीनीकरण**, बशर्ते छात्र अगली कक्षा में प्रमोट हो और **कम से कम 60% अंक** प्राप्त करे।
- यह योजना केवल **सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों** के छात्रों के लिए है।
- **केंद्रीय विद्यालय (KVS), नवोदय विद्यालय (JNV), और अन्य आवासीय विद्यालय** इससे बाहर हैं।
- **वार्षिक छात्रवृत्ति राशि ₹12,000**, जो **DBT (Direct Benefit Transfer)** के माध्यम से **आधार-लिंक्ड बैंक खाते** में भेजी जाती है (छात्र या माता-पिता के नाम)।
- **माता-पिता की वार्षिक आय ₹3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए**

जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक / DFSI

संदर्भ:

IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने मिलकर एक नया **District Flood Severity Index (DFSI)** विकसित किया है, जिसका उद्देश्य **भारत के विभिन्न जिलों में बाढ़ की गंभीरता का समग्र मूल्यांकन** करना है। यह सूचकांक **नीति-निर्माताओं को सटीक आंकड़ों पर आधारित निर्णय लेने** में सहायता करेगा और **बाढ़ प्रबंधन और आपदा न्यूनीकरण** की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक (DFSI)

परिचय:

- DFSI एक **डेटा-आधारित उपकरण** है, जो भारत में **जिला स्तर** पर बाढ़ की गंभीरता का मूल्यांकन और वर्गीकरण करता है।
- इसका उपयोग **बाढ़ संभावित जिलों की पहचान** और **आपदा प्रबंधन व संसाधन आवंटन** को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है।

प्रमुख मापदंड (Key Parameters):

- जिले में सभी बाढ़ घटनाओं की **औसत अवधि (दिनों में)**
- **जिले के क्षेत्रफल का प्रतिशत** जो ऐतिहासिक रूप से बाढ़ से प्रभावित रहा है
- बाढ़ के कारण हुई **कुल मृत्यु और घायल लोगों की संख्या**
- **जिले की जनसंख्या**

उपयोग किए गए स्रोत (Data Sources):

- मुख्य रूप से **भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)** से प्राप्त आंकड़े (1967 से बाढ़ संबंधित डाटा संग्रह)
- **IIT दिल्ली द्वारा तैयार किया गया 40 वर्षों का विशेष स्थानिक डेटासेट**

DFSI से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष (Key Insights):

तिरुवनंतपुरम जिला: बाढ़ घटनाओं की संख्या सबसे अधिक, → लेकिन DFSI के अनुसार **शीर्ष 30 गंभीर जिलों में शामिल नहीं**, यानी गंभीरता कम।

सबसे गंभीर जिला: **पटना** DFSI में पहले स्थान पर है।

अन्य शीर्ष जिले:

- असम के: **धेमाजी, कामरूप, नागांव**
- **इंडो-गंगा मैदान** के जिले प्रमुखता से शामिल

हिरोशिमा दिवस / hiroshima day

संदर्भ:

6 अगस्त को मनाया जाने वाला **हिरोशिमा दिवस**, **हिरोशिमा और नागासाकी** पर परमाणु बम हमलों की **80वीं वर्षगांठ** को चिह्नित करता है। यह दिन **मानवता के इतिहास की सबसे विनाशकारी घटनाओं** में से एक की याद दिलाता है और **शांति, परमाणु निरस्त्रीकरण और युद्ध की विभीषिका से बचने के संकल्प** का प्रतीक माना जाता है।

हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमला (1945):

- **6 अगस्त 1945** को, अमेरिका ने **"लिटिल बॉय"** नामक परमाणु बम को **B-29 बॉम्बर 'Enola Gay'** से **हिरोशिमा** पर गिराया।
- करीब **70,000–80,000 लोगों की तत्काल मृत्यु** हो गई, और बाद में **कई हजार लोग विकिरण (radiation)** और चोटों से मारे गए।
- **9 अगस्त 1945** को अमेरिका ने **"फैट मैन"** नामक दूसरा परमाणु बम **नागासाकी** पर गिराया।
- इसके बाद **जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया**, और **द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया।**

परमाणु बम गिराने का निर्णय क्यों लिया गया?

- **जनरल डगलस मैकआर्थर** सहित कई शीर्ष कमांडर **परंपरागत बमबारी** और **"ऑपरेशन डाउनफॉल"** (जापान पर बड़े स्तर का सैन्य आक्रमण) के पक्ष में थे।
- इस अभियान में **10 लाख अमेरिकी सैनिकों की मौत** की आशंका थी।
- इन भारी हानियों से बचने के लिए **राष्ट्रपति ट्रूमैन** ने **परमाणु बम** का उपयोग करने का निर्णय लिया।

मैनहैटन प्रोजेक्ट और ओपेनहाइमर: **दिसंबर 1941** में अमेरिका ने **J. Robert Oppenheimer** के नेतृत्व में **"मैनहैटन प्रोजेक्ट"** शुरू किया, जिसका उद्देश्य परमाणु बम बनाना था।

परमाणु बमबारी के बाद वैश्विक असर

- इस भयावह घटना के बाद **परमाणु हथियारों को नियंत्रित** करने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय संधियाँ बनाई गईं:
  - **परमाणु अप्रसार संधि (NPT)**
  - **सीटीबीटी**
  - **लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी (LTBT)**
  - **न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप (NSG)**

अमेज़न वर्षावन / Amazon Rainforest

संदर्भ:

अमेज़न वर्षावन का **25% से अधिक हिस्सा** अब तक **वनों की कटाई, आग और खनन गतिविधियों** के कारण **गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त** हो चुका है। यह स्थिति **जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन** पर भारी दबाव डाल रही है, जिससे यह वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक **गंभीर चेतावनी** बन गई है।

अमेज़न वर्षावन (Amazon Rainforest)

- **"धरती के फेफड़े"** कहे जाने वाला ऐमेज़न वर्षावन, पृथ्वी की लगभग **10% ज्ञात वनस्पतियों और जीवों** का घर है – और **अनेकों ऐसी प्रजातियाँ** भी यहाँ हैं जिन्हें अभी खोजा नहीं गया है।
- यह वर्षावन **8 देशों और 1 विदेशी क्षेत्र** में फैला हुआ है: **ब्राज़ील, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, गुयाना, पेरू, सूरीनाम, वेनेज़ुएला** और **फ्रेंच गुयाना** (फ्रांस का विदेशी क्षेत्र)।
- इसमें लगभग **250–300 अरब टन कार्बन** संग्रहीत है, जो कि वैश्विक **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 15–20 वर्षों** के बराबर है।
- यह वर्षावन ऐसी वर्षा उत्पन्न करता है जो **विश्व के कई बड़े शहरों** और **महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों** को जीवन देती है।
- ऐमेज़न क्षेत्र में **4.7 करोड़ से अधिक लोग** निवास करते हैं, जिनमें से **22 लाख लोग** आदिवासी और पारंपरिक समुदायों से हैं, जिनका जीवन और संस्कृति **वनों से गहराई से जुड़ा** है।

GS FOUNDATION For
UPSC & STATE PSC
इतिहास
अर्थव्यवस्था
भूगोल
भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
1500x4
₹6000/-
₹4500/-
रोज़ाना लाइव क्लासेस
साप्ताहिक टेस्ट
क्लास की पीडीएफ (हिंदी + अंग्रेज़ी में)
लाइव डाउट सेशन
रोज़ाना प्रैक्टिस प्रश्न
COURSE VALIDITY
1 YEAR

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
FOUNDATION COURSE
OF MUTUAL FUND
INVEST IN KNOWLEDGE GROW YOUR WEALTH
COMBO OFFERS
COURSE FEE
₹4000/-
OFFER PRICE
₹2800/-
Course Validity
1 YEAR
BBK
Baaten Bazaar ki
एक निवेश समझदारी से..

FUNDAMENTALS OF
STOCK MARKET
LEARN HOW TO TRADE
Baaten Bazar Ki
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
INVESTMENT की करो जीरो से शुरुवात

FOUNDATION COURSE OF
MUTUAL FUND
Invest in Knowledge
Grow Your Wealth
Course fee
₹1999/-
COURSE VALIDITY
1 YEAR
एक निवेश समझदारी से..

PORTFOLIO BUILDING AND MANAGEMENT COURSE

+ (FUNDAMENTAL OF STOCK MARKET)

- Long-Term Investing Foundations
- Principles of Value Investing and Stock
- Portfolio Construction Mastery
- Sectoral Investing
- Stock Picking Framework
- Active Portfolio Management Techniques
- Mega Cap vs Mid Cap Strategy

EMI AVAILABLE

SPECIAL BONUS

COURSE VALIDITY
1 YEAR